संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)32/76–खण्ड–5–2839–2841
हिमाचल प्रदेश सरकार
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग

प्रेषक :

निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

प्रेषित :

उप निदेशक,
जिला सैनिक कल्याण सोलन,
जिला सोलन हिमाचल प्रदेश
दिनांक 19.05.2016, शिमला–171009

विषय : जिला सैनिक कल्याण सोलन की विभिन्न निधियों के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन बारे

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में जिला सैनिक कल्याण सोलन की विशेष निधि, विश्राम गृह निधि सोलन, विश्राम गृह निधि परवाणु तथा झण्डा दिवस निधि के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2015 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रतियां आपको आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है। इन अंकेक्षण प्रतिवेदनों पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–09

संलग्न : यथोपरि
पृष्ठांकन संख्या :– यथोपरि– दिनांक, शिमला–1710009
प्रतिलिपि :–

(1) निदेशक, राज्य सैनिक कल्याण, निदेशालय हमीरपुर, जिला हमीरपुर हिमाचल प्रदेश
(2) सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–171002
(3) जिलाधीश सोलन, जिला सोलन को सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–09

जिला सैनिक कल्याण सोलन की झण्डा दिवस के निधि लेखों का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 4/2013 से 3/2015
भाग–एक

1 गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

संस्था द्वारा गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई है। अतः अनिस्तांतरित अनुछेदों के निपटारे हेतु शीघ्र कार्रवाई करनी सुनिश्चित की जाए अन्यथा अंकेक्षण का प्रयोजन ही निष्फल हो जाता है। गत अवधि के अनिर्णीत पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से है।

(क) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1991 से 3/1997

1	पैरा 3	अनिर्णीत	
2	पैरा 4	अनिर्णीत	
3	पैरा 5	अनिर्णीत	
4	पैरा 6	अनिर्णीत	

(ख) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1997 से 3/2003

1	पैरा 6	अनिर्णीत	
2	पैरा 12	अनिर्णीत	

(ग) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2008

1	पैरा 6	अनिर्णीत	

(घ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2013

1	पैरा 3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क जमा करने पर पैरा समाप्त)
2	पैरा 4 (क) तथा (ख)	निर्णीत	(पैरा वित्तीय स्थिति से सम्बन्धित है तथा पुनः प्रारूपित किया गया है)
3	पैरा 5	निर्णीत	(पैरा निवेश से सम्बन्धित है तथा पुनः प्रारूपित किया गया है)
4	पैरा 6	अनिर्णीत	
5	पैरा 7	अंशत निर्णीत	(₹27430 में से ₹6000 जमा करवा दिए गए थे तथा शेष ₹21430 की वसूली अभी करनी बकाया है)

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

जिला सैनिक कल्याण कार्यालय सोलन की झण्डा दिवस निधि के अवधि 4/2013 से 3/2015 के लेखाओं का अंकेक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिए गए हैं, श्री पुनीश सागर, अनुभाग अधिकारी द्वारा किया गया। आय की विस्तृत जांच हेतु माह 12/2013 और 12/2014 तथा व्यय की विस्तृत जांच के लिए 11/2014 तथा 4/2015 के माह का चयन किया गया। इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को संस्था के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी/अभिलेखों के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी प्रकार की गलत सूचना या सूचना के उपलब्ध न करने के कारण पाई गई त्रुटि हेतु उत्तरदायी नहीं है।

अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान संस्था में निम्न आहरण एवं वितरण अधिकारी कार्यरत रहे।

पदाधिकारी का नाम	अवधि
श्री एससी सकलानी	4/2013 से 3/2015

3 अंकेक्षण शुल्क

जिला सैनिक कल्याण कार्यालय सोलन की झण्डा दिवस निधि के अवधि 4/2013 से 3/2015 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹2000 आंका गया। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 को प्रेषित करने अनुभाग अधिकारी के पत्र संख्या 116, दिनांक 23.11.2015 द्वारा उप निदेशक, जिला सैनिक कल्याण, सोलन से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

जिला सैनिक कल्याण कार्यालय सोलन की झण्डा दिवस निधि के अवधि 4/2013 से 3/2015 से सम्बन्धित वित्तीय स्थिति (**परिशिष्ट–"क",** पृष्ठ संख्या 11 से 16 तक) निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–"क"** पर भी दिया गया है।

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	प्राप्त आय	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	612112.24	275663.00	28121.00	915896.24	47044.00	868852.24
2014–15	868852.24	174283.00	49224.00	1092359.24	7884.00	1084475.24

5 बैंक समाधान विवरण

संस्थान द्वारा **परिशिष्ट–"ख"** पर उपलब्ध करवाई गई बैंक समाधान विवरणी निम्न प्रकार से है।

दिनांक 31.3.2015 को वित्तीय स्थिति/रोकड़ वही के अनुसार शेष	–	1084475.24
दिनांक 31.3.2015 को बैंक (बचत खाते) के अनुसार शेष (**परिशिष्ट–"ख"** पृष्ठ संख्या 15 व 16 पर संलग्न)	–	–

दिनांक 31.3.2015 को सावधि खातों में जमा राशि (**परिशिष्ट–"ख"** पृष्ठ संख्या 15 पर संलग्न) – –

योग ₹1084475.24

6 निवेश

(क) संस्थान द्वारा दिनांक 31.3.2015 को सावधि जमा में निवेश की गई राशि का विवरण तथा **परिशिष्ट–"ग"** (पृष्ठ संख्या 17 से 23 तक) पर संलग्न है।

(ख) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि सावधि जमा में निवेश की गई राशियों को व्यय दर्शाया जा रहा है, जोकि उचित नहीं है। अतः भविष्य में सावधि जमा में निवेश की गई राशियों को रोकड़ वही में व्यय के रूप में न दर्शाकर सावधि जमा में निवेश किया गया दर्शाया जाए।

(ग) बैंक द्वारा निवेश पर बयाज देते समय स्त्रोत पर आय कर की ₹360 की कटौती किए जाने बारे

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि बैंक द्वारा निम्नलिखित सावधि जमा खाते में ब्याज Credit करते समय ₹360 की कटौती आय कर के रूप में की थी, जोकि आयकर अधिनियम की धारा 196 में दिए गए निर्देशों के प्रतिकूल प्रतीत होती है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा यह मामला सम्बन्धित बैंक से उठाकर ₹360 की वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

सावधि जमा खाता सं0 / सावधि जमा रजिस्टर की पृष्ठ सं0	निवेश करने की तिथि	निवेश की गई राशि	ब्याज की दर	परिपक्वता की तिथि	परिपक्कव राशि	जितना ब्याज दिया जाना था	जितना ब्याज दिया गया	आय कर की जितनी कटौती की गई
30816030162 / 2	5.7.2011	131070	8.75%	5.7.2013	₹155842	₹24772	₹24412	₹360

7 बैंक खातों के रख–रखाव के बारे में

संस्थान द्वारा दिनांक 31.3.2015 को स्टेट बैंक ऑफ पटियाला तथा इंडिया बैंक सोलन में बचत तथा सावधि जमा से सम्बन्धित कुल 7 खाते खुलवा रखे थे। अतः सुझाव दिया जाता है कि सरप्लस फंडस का निवेश करते समय हि0प्र0 सरकार की पत्र संख्या फिनः आईएफ(ए)1–68 / 91–V, फाइनेंस डिपार्टमेंट (आईएफ) दिनांक, शिमला–171002, 17.4.2014 में दिए गए निर्देशों का अनुसरण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8 झण्डों की बिक्री पर पाई गई अनियमितताओं बारे

टोकन फ्लैग रजिस्टर की पड़ताल पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईं।

(क) विभिन्न विभागों/संस्थानों को बिक्री हेतु जारी किए झण्डों से सम्बन्धित ₹59450 की प्राप्ति न करना

संस्थान द्वारा **परिशिष्ट–"घ"** पर उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अनुसार विभिन्न विभागों/संस्थाओं को विक्रय हेतु झण्डे जारी किए गए थे, परन्तु सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं द्वारा न तो झण्डों की बिक्री की राशि जमा की गई और न ही झण्डों की बिक्री न होने की स्थिति में इन्हें वापिस किया गया। अतः इन विभागों/संस्थाओं से झण्डों की बिक्री से ₹59450 शीघ्र प्राप्त करके झण्डा दिवस निधि में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ख) झण्डों के अभिलेख का उचित रख–रखाव न करना

चर्चा के दौरान अंकेक्षण को अवगत करवाया गया था कि संस्था के प्रतिवर्ष 30000 झण्डे बिक्री हेतु प्राप्त होते हैं। इन झण्डों की बिक्री से सम्बन्धित रजिस्टर के अनुसार वर्ष 2013 तथा 2014 में निम्नानुसार झण्डों का जारी किया गया दर्शाया गया था।

वर्ष	रजिस्टर की पृष्ठ सं0	जितने झण्डे जारी किए गए दर्शाए गए थे	वर्ष के दौरान बिक्री हेतु प्राप्त झण्डे	जितने झण्डे विभिन्न विभागों/शैक्षणिक संस्थानों को प्राप्ति से कम या अधिक जारी किए गए थे
2013	71	29800	30000	200 (कम)
2014	85	31628	30000	1628 (अधिक)

इस प्रकार उपरोक्त विवरणानुसार वर्ष 2013 में क्रमषः (30000–29800=200) कम झण्डे जारी किए गए तथा वर्ष 2014 में (31628–30000=1628) अधिक झण्डे जारी किए गए थे। इस सन्दर्भ में चर्चा के दौरान अवगत करवाया गया कि वर्ष 2014 में 1628 झण्डों का जो अधिक जारी किए गए दर्शाए गए थे। वह गत वर्षों में बिक्री न होने पर विभिन्न विभागों से झण्डे वापिस प्राप्त हुए थे, परन्तु रजिस्टर में बिक्री न होने पर वापिस प्राप्त हुए झण्डों का कोई भी विवरण दर्ज नहीं था, जिस कारण 2014 में शेष बचे हुए 1628 झण्डों की जो अधिक बिक्री दर्शाई गई थी। वह सही है। इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों को भी सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जोकि उचित नहीं है। अतः इन अनियमितताओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि झण्डों से सम्बन्धित अभिलेख का सही अनुसरण नहीं किया जा रहा है। अतः उपरोक्त अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–साथ अब इस बारे नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से आगामी आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में झण्डों से सम्बन्धित अभिलेख का

सही अनुरक्षण किए जाने के साथ–साथ उपरोक्त अनियमितताओं की पुनरावृत्ति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

(ग) झण्डों की बिक्री से ₹2305 कम प्राप्त किए जाने बारे

रजिस्टर में वर्ष 2013 तथा 2014 से सम्बन्धित प्रविष्टियों की पड़ताल के दौरान पाया गया कि निम्नानुसार झण्डों की बिक्री से ₹2305 कम प्राप्त हुए थे। इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–साथ ₹2305 की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से करके इसे सम्बन्धित खाते में जमा करवाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0 सं0	रजिस्टर की पृष्ठ सं0	क्र0 सं0	विभाग / शैक्षणिक संस्थान का नाम	जितने झण्डे जारी किए गए	जितने झण्डों की बिक्री से सम्बन्धित राशि प्राप्त होनी चाहिए थी (क)	जितने झण्डों की बिक्री से सम्बन्धित राशि प्राप्त की गई (ख)	जितनी राशि कम प्राप्त की गई (क–ख)
1	72	4	जिला पंचायत कार्यालय, सोलन	300	3000(300x100)	1500	1500
2	80	86	वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, लोहरू घाट	200	1000(200x5)	500	500
3	61	41	वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, भोजनगर	200	1000(200x5)	960	40
4	61	42	वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, भुमती	200	1000(200x5)	970	30
5	62	59	वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, गोड़ा	200	1000(200x5)	975	25
6	63	78	वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, मांगल	200 (रजिस्टर में प्रविष्टि के अनुसार 42 झण्डे का विक्रय नहीं हुआ था)	790 158(200–42x5)	755	35
7	68	136	हाई स्कूल कुन्दलू	100	500(200x5)	425	75
8	75	32	वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला,	200	1000(200x5)	965	35

			बधलोग				
9	76	42	वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, भुमती	200	1000(200x5)	970	30
10	76	44	वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, बुघार	200 (रजिस्टर में प्रविष्टि के अनुसार 32 झण्डे का विक्रय नहीं हुआ था)	840 168(200–32x5)	805	35
						कुल योग	**₹2305**

9 स्टोर/स्टोक बारे

अंकेक्षण के दौरान स्टोर/स्टोक से सम्बन्धित अभिलेख के रख–रखाव में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईं।

(क) स्टोर/स्टोक तथा अन्य रजिस्टर्स को Inventory Register में दर्ज न किए जाने बारे

विभिन्न रजिस्टरों की पड़ताल करने पर पाया गया कि किसी भी स्टोर/स्टोक से सम्बन्धित रजिस्टर को मुख्य स्टोर से जारी करते समय Inventory Register में दर्ज नहीं किया गया था, जोकि नियमानुसार किया जाना अनिवार्य है, ताकि संस्था में प्रयोग में लाए जा रहे विभिन्न रजिस्टरों की सत्यता प्रमाणित की जा सके तथा संस्थान द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे सभी रजिस्टरों की सही जानकारी प्राप्त हो सके। अतः संस्थान की सभी रोकड़ वहियों, स्टोर/स्टोक रजिस्टरों तथा अन्य विविध रजिस्टरों को Inventory Register में दर्ज कर के तथा उन पर Inventory Numbers लिख कर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ख) स्टोर/स्टोक का भौतिक सत्यापन (Physical Verfication) न करवाए जाने बारे

हिमाचल प्रदेश सरकार (वित्त विभाग (रेगुलेशन) की अधिसूचना संख्या फिन (सी)ए(3)5/2005 शिमला–171002, दिनांक 12.8.2009 के नियम 140 तथा 141 में दिए गए निर्देशों तथा प्रक्रिया के अनुसार नियमित रूप से स्टोर/स्टोक का भौतिक सत्यापन करवाया जाना अनिवार्य है। इसके अभाव से न तो स्टोर/स्टोक में उपलब्ध उपयोगी वस्तुओं की वास्तविक स्थिति का बोध होता है तथा न ही विभिन्न अनुपयोगी वस्तुओं का समय पर नियमानुसार निस्तारन (Disposal) किया जा सकता है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचनाओं तथा मौखिक रूप से स्टोर/स्टोक के भौतिक सत्यापन करवाए जाने से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत करने

हेतु आग्रह किया गया था, परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक यह अभिलेख पड़ताल हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उपरोक्त अनियमितता के कारण स्पष्ट करने के साथ–साथ इस विषय में अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में स्टोर / स्टोक का भौतिक सत्यापन नियमानुसार नियमित रूप से करवाया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

10 बिलों / कैश मैमो पर नियमानुसार आवश्यक प्रमाण पत्र न दिए जाने बारे

चयनित मासों में व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि अधिकतम बिलों / कैश मैमो पर हिमाचल प्रदेश सरकार, फाईनैन्स (रेगुलेशन) डिपार्टमेन्ट, अधिसूचना संख्या फिन (सी)ए(3)5 / 2005, दिनांक 12.8.2009 के नियम संख्या 97 तथा 98 के अनुसार वान्छित प्रमाण पत्र नहीं दिए जा रहे हैं, जोकि सरकारी निर्देशों की अवहेलना है। अतः इस विषय में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उपरोक्त नियमों में दिए गए निर्देशों की नियमित रूप से अनुपालना की जानी सुनिश्चित की जाए।

11 लघु आपत्ति विवरणिका

इस प्रकार की कोई भी विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है।

12 निष्कर्ष

लेखों में सुधार की आवश्यकता है तथा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु तुरन्त कार्रवाई की जानी अपेक्षित है।

हस्ता / –
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–09

पृष्ठांकन संख्या प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

प्रतिलिपि :– (1) उप निदेशक जिला कल्याण विभाग, सोलन को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेंजे।

(2) अतिरिक्त सचिव (सामान्य प्रशासन) हि0प्र0 सरकार शिमला–2

(3) निदेशक, राज्य सैनिक कल्याण हमीरपुर, जिला हमीरपुर हि0प्र0

हस्ता / –
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–09